

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.12(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2019/आर-2139

जयपुर, दिनांक : 01.05.2019

आ दे श

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2019 के द्वारा डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी हॉल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को दिनांक 16.04.2019 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been Suspended) के आदेश जारी किये गये है।

अतः निलम्बित किये जाने के कारण डा. काबरा को पीजी हेतु स्वीकृत अध्ययन अवकाश (दिनांक 01.06.2017 से 31.05.2020) को निलम्बन किये जाने की दिनांक 16.04.2019 से आगामी अध्ययन अवकाश निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 4- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 6- डा. रवि काबरा, चिकित्सा अधिकारी हॉल पीजी अध्ययनरत सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा निदेशक जन स्वास्थ्य के माध्यम से
- 7- कम्प्यूटर सेल
- 8- निजी /रक्षित पत्रावली


शासन सहायक सचिव